बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5808 दिनांक–26.11.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक–2018 दिनांक–15.03.2024 को संशोधित करते हुए भू–अर्जन/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1440 दिनांक–13.11.2014 के आलोक में रैयतों से बिहार रैयती भूमि लीज नीति के आधार पर सतत् लीज पर लेने की स्वीकृति।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत लोक उद्देश्य के कार्यों तथा विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना यथा–नाला, सड़क, प्रशासनिक भवन, सम्राट अशोक भवन, मोक्षधाम/शवदाह गृह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कम्पोस्ट प्लांट, एम०आर०एफ०, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीवेज/सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन तथा अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागीय पत्रों के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी से सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर रैयती भूमि प्राप्त करने हेतु नगर निकायों द्वारा भी काफी प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु वर्णित कार्य हेतु न तो सरकारी भूमि और ना ही रैयती भूमि क्रय/लीज पर उपलब्ध हो पा रहा है। इसी प्रकार कई महत्वपूर्ण विभागीय योजनाएँ, जिसकी स्वीकृति प्राप्त है और राशि भी उपलब्ध है परन्तु भूमि अनुपलब्ध रहने के कारण कार्यान्वित नहीं हो पा रही है।

2. अपशिष्टों का प्रबंधन शहरों के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य ही कचरा मुक्त शहर का निर्माण करना है। भूमि के अभाव में ठोस/तरल अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। इससे कचरा मुक्त शहर की कल्पना को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि भूमि के अभाव में ठोस/तरल अपशिष्टों का प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा विभाग पर रू० 4000/– करोड़ (चार हजार करोड़ रू०) मात्र का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5808 दिनांक–26.11.2015 में विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकायों की भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित नगर निकायों को बाजार दर पर भूमि क्रय करने हेतु प्रावधान किये गए है।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2018 दिनांक–15.03.2024 द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5808 दिनांक–26.11.2015 की कंडिका–3 (iii) में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया गया है :–

''राज्य के नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 99 के आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के न्यूनतम मूल्य पंजी पर रैयती भूमि का क्रय नगर निकाय के आंतरिक संसाधन/राज्य योजना मद से किया जायेगा।''

5. वर्तमान में भू–अर्जन अथवा सतत् लीज पर शहरी क्षेत्रों में भूमि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर (एम०भी०आर०) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में एम०भी०आर० का दो गुणा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुणा दर पर भूमि प्राप्त करने का प्रावधान है, परन्तु नगर विकास एवं आवास विभाग के वर्तमान प्रावधानानुसार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार के न्यूनतम मूल्य पंजी (एम०भी०आर०) पर ही मुआवजा देय है। भूमि का वास्तविक मूल्य एम०भी०आर० के निर्धारित दर से अधिक होने के कारण रैयतों द्वारा रूची नहीं ली जा रही है। नगर निकायों द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित करने के बाद भी रैयत भूमि देने के इच्छुक नहीं पाये गये है।

6. बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 अंतर्गत लघु परियोजनाएँ, जिसमें अपेक्षाकृत कमतर भूमि/भू–खण्ड सन्निहीत एवं रैयतों की संख्या सीमित हो, के लिए उक्त लीज नीति अंतर्गत सतत् लीज (परपेचुअल लीज) पर भूमि लेने का प्रावधान है ताकि भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई यथासंभव न्यूनतम अवधि में सुनिश्चित हो सके। इसलिए विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रयुक्त जल प्रबंधन के साथ–साथ अन्य विभागीय योजनाओं एवं लोक उद्देश्य के कार्यों के कार्यान्वयन हेतु रैयती भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1440 दिनांक–13.11.2014 एवं पत्रांक–1093 दिनांक–08.09.2016 में वर्णित प्रावधानों/प्रक्रिया के अनुसार सतत् लीज पर भूमि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. वैसे मामले जहाँ बड़ी परियोजनाओं हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें कई हितबद्ध रैयत शामिल होंगे, वैसे मामलों में भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भू–अर्जन की कार्रवाई की जायेगी।

8. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1440 दिनांक–13.11.2014 की कंडिका–03 में सतत् लीज पर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर के चार गुणी एवं शहरी क्षेत्रों में दो गुणी दर पर प्राप्त किया जायेगा।

9. यदि योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में भूमि को सतत् लीज पर प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसके निराकरण/संगत दिशा–निर्देश निर्गत करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम होगा।

10. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–09.09.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक मे मद संख्या–06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

11. अतः **विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5808 दिनांक–26.11.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक–2018 दिनांक–15.03.2024 को संशोधित करते हुए भू–अर्जन/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1440 दिनांक–13.11.2014 के आलोक में रैयतों से बिहार रैयती भूमि लीज नीति के आधार पर सतत् लीज पर लेने की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित** की जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–13/SBM–14/2025 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी०डी० संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–13 / SBM–14 / 2025 3391 / पटना, दिनांक– 11/09/25

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव के आप्त सचिव / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम, बिहार / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत, बिहार / आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार / विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/25

सरकार के सचिव।